संख्याः 443953 **/XXX(2)/2026–ई 20917**

प्रेषक,

गिरधारी सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।**
3. **मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।**
4. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।**

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 **देहरादून,दिनांकः** 28 **अक्टूबर, 2026**

विषयः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के व्यावहारिक क्रियान्वयन में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु सुस्पष्ट एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में उल्लेख करना है कि लोक सेवकों के स्थानान्तरण में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' प्रख्यापित किया गया है। उक्त अधिनियम में कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया एवं समय–सारणी निर्धारित की गई है।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि वार्षिक स्थानान्तरण सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के स्तर पर उक्त अधिनियम के कतिपय प्रावधानों एवं धाराओं के व्यावहारिक क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों की भिन्न–भिन्न संवर्गीय संरचना, तकनीकी एवं विशिष्ट प्रकृति के पदों की उपलब्धता, सुगम व दुर्गम क्षेत्रों में पदों के असमान वितरण, सेवा अवधि की गणना तथा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के निर्वचन को लेकर विभागों द्वारा कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से मार्गदर्शन/छूट अथवा शिथिलीकरण के प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रस्तावों से न केवल स्थानान्तरण सत्र की समयबद्धता प्रभावित होती है, अपितु नीतिगत एकरूपता बनाए रखने में भी व्यावहारिक जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।

3. अतः उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ निदेशालयों/विभागों में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रियान्वयन में आ रही वास्तविक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों का गहन विश्लेषण कर लिया जाय। यदि अधिनियम की किसी विशिष्ट धारा अथवा उपधारा के अंतर्गत स्थानान्तरण करने में कोई नीतिगत, विधिक अथवा संवर्गीय बाध्यता/कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो उसके स्थायी समाधान एवं आवश्यक संशोधन/स्पष्टीकरण हेतु अपना सुस्पष्ट एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया केवल उन्हीं कठिनाइयों को सम्मिलित किया जाए जो अधिनियम के प्रावधानों की संरचनात्मक अथवा विधिक बाध्यता के कारण उत्पन्न हो रही हैं; व्यक्तिगत प्रकरणों या तात्कालिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित न किया जाए। कृपया प्रश्नगत सूचना 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Girdhari Singh Rawat
Date: 28-10-2026
13:32:26

भवदीय,

(गिरधारी सिंह रावत)
अपर सचिव।